न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 283 / 2021

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. गरिमा पुत्री श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. माया पत्नी श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. साहिल पुत्र श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 66 / 5 की कुल 1.0630 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.2016 को 0.01111 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्योप्रकाश से वादी ने 0.0111 हैक्ट भूमि जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है वादी मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा खातेदार काश्तकार हो चुका है। वादी मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी का है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बैयनामा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे मुताबिक बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रपति रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.07.2016 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.2016 को प्रतिवादीगण के पिता श्योप्रकाश से वादी ने 0.0111 हैक्ट भूमि जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है वादी मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा खातेदार काश्तकार हो चुका है। वादी मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी का है। वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 66/5 की कुल 1.0630 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक वादी द्वारा उक्त भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 01.07.2016 को वादी द्वारा 0.0111 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पिता श्योप्रकाश से खरीद की गइ है। लेकिन आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है जिसे वादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों ए के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 66/5 की कुल 1.0630 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 0.0111 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 283 / 2021

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. गरिमा पुत्री श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. माया पत्नी श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. साहिल पुत्र श्योप्रकाश जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 283 सन 2021 निर्णय दिनांक 13/04/26

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 66 / 5 की कुल 1.0630 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 0.0111 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ......13/04/26...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:50 IST
Reason: SelfAttested